# कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

## (जिला स्थापना शाखा)

### आदेश

अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–958 / अनु0सा0 दिनांक 09.05.2016 के द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी खगड़िया अंचल सम्प्रति बेलदौर अंचल के विरूद्ध प्राप्त प्रपत्र ''क'' के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक–425 / स्था0 दिनांक 04.0702016 द्वारा श्री मुकेश कुमार सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता खगड़िया को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया था।

संचालन पदाधिकारी–सह–वरीय उप समाहर्ता खगड़िया द्वारा श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का विधिवत् संचालन के पश्चात जांच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध समर्पित किया गया है।

आरोप पत्र प्रपत्र–''क'' में श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गयेः–

**आरोप सं0–01ः–** गैर मजरूआ आमभूमि के नामांकरण का प्रस्ताव देना एवं जमाबंदी कायम करना।

**आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–** आरोपी द्वारा कारण पृच्छा का जवाब निम्न प्रकार दिया गया हैः–

i. इनभेन्ट्री आदेश के तहत हल्का न0–6 का प्रभार श्री राजेश कुमार वर्मा (प्र0 अ0 नि0) को राजस्व कर्मचारी कुमारी गंगा के आवास से ताला तोड़कर दण्डाधिकारी के समक्ष प्रभार दिया गया है।

ii. उसके बाद दिनांक– 05.05.2015 को हल्का नं0–6 का प्रभार मुझे दिया गया जो प्रभार आधा अधुरा था। उस हल्के में विगत छः माह पूर्व से किसी भी प्रकार का कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था।

iii. मैने प्रभार लेने के बाद पंजी का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि कई मुख्य पंजी जो हल्का कार्यालय में होनी चाहिए थी, वह नहीं थी।

iv. मैने इसकी सूचना मैखिक एवं लिखित रूप से अंचल अधिकारी को दिया था।

v. हल्का नं0–06 के प्रभार को देखने से ही मुझे यह प्रतीत हुआ की किसी भी प्रकार की भूल हो सकती है, अतः मैंने दिनांक–09.05.2015 को अंचल अधिकारी, खगड़िया से लिखित रूप से अनुरोध किया कि यह अपुर्ण प्रभार मुझसे वापस ले लिया जाय।

vi. दिनांक–10.05.2015 को श्रीमान् अंचल अधिकारी, खगड़िया ने मुझे बुलाया एवं बताया कि मैंने आपके प्रभार वापस करने का आवेदन अस्वीकृत कर दिया हूँ। अपूर्ण प्रभार रहने के बावजूद भी आप सभी मुख्य लंबित कार्यो को निष्पादन सकारात्मक दृष्टिकोण से करें अगर किसी भी प्रकार का भूल होती है तो उसे सुधार कर लिया जायेगा।

vii. मैने इस हल्के का कार्य प्रारम्भ किया। पंजी नहीं रहने के बावजूद भी मैने सभी लंबित एल0पी0सी0, जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्य जो पूर्व से लंबित थे उसका निष्पादन मेरे द्वारा किया गया वह भी सकारात्मक दृष्टिकोण से जिसमें त्रुटि के संकेत नहीं मिला।

viii. मौजा बछौता के आधे से अधिक पंजी (अनुमानतः) एवं मूल खतियान या हस्तलिखित खतियान जिल्द संख्या तीन एवं चार (3/4) मेरे प्रभार में नहीं था एवं कुछ पंजी–2 भी मेरे प्रभार नहीं था गैरमजरूआ आम एवं खास पंजी भी सत्यापित नहीं था, जिससे किसी जमीन का सत्यापन किया जा सके।

ix. जहाँ तक मुझे विश्वास था कि किसी भी प्रकार का सरकारी जमीन का निबंधन कार्यालय के द्वारा नहीं किया जाता है, साथ ही वाद संख्या–829/15–16 केवाला संख्या–3034 दिनांक–23.07.2014 वाद संख्या–830/15–16 केवाला संख्या–4186 दिनांक– 08.08.2014 वाद संख्या–837/15–16 केवाला संख्या– 4135, दिनांक–08.08.2014 जो हाल के केवाला थे, खाता खेसरा से संबंधित खतियान मेरे प्रभार में नही मिला, जिससे उक्त वाद के खाता खेसरा का सत्यापन सही रूप से किया जा सके। अतः मैने निबंधन कार्यालय के विश्वास पर नामात्रंण का प्रस्ताव दिया था।

x. श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि मै इस हल्के के प्रभार में दिनांक–14.07.2015 यानी (दो माह चौदह दिन) ही रहा उसके बाद मेरा स्थानान्तरण अंचल कार्यालय, बेलदौर कर दिया गया। उसके बाद श्री राजीव रंजन राजस्व कर्मचारी अंचल बेलदौर से खगड़िया अंचल स्थानान्तरण होकर आये, मैने उन्हे हल्के का प्रभार दिनांक– 14.07.2015 को दे दिया एवं मैं स्थानान्तरित होकर अंचल कार्यालय, बेलदौर में अपना योगदान दिया।

<u>उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–</u> उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी कर्मी द्वारा अपने जबाब में बताया है कि उन्हें मूल खतियान या हस्तलिखित खतियान प्रभार में नहीं था। इस संबध में कहना है कि यदि खतियान या अन्य दस्तावेज नहीं था तो आरोपी राजस्व कर्मचारी द्वारा अपने जांच प्रगतिवेदन में उल्लेखित करना चाहिए था। उन्होने किस आधार पर प्रतिवेदन दिया कि जमीन सरकारी भूमि से मुक्त है। स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा नामांन्तरण बाद में दिये गये जांच प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण में दिये गये जबाब में पूर्ण रूपेण विरोधाभास है।

<u>संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–</u> गठित अरोप, आरोपी का कारण पृच्छा एवं उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य/प्रतिवेदन तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–829/15–16, 830/15–16 एवं 837/15–16 में गैरमजरूआ आमभूमि के दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा की गयी। बछौता मौजा के गैरमजरूआ आम/खास भूमि की पंजी उनके प्रभार में था तब भी आरोपी कर्मी द्वारा उक्त पंजी के तथ्यों को छिपाते

हुए अपनी अनुशंसा में प्रश्नगत भूमि को सरकारी भूमि से मुक्त प्रतिवेदित करते हुए नामांतरण की अनुशंसा की गई। इस प्रकार गैर मजरूआ आम भूमि के नामांतरण का प्रस्ताव देने संबंधी आरोप प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी–सह– वरीय उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के पश्चात् आरोपी श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव से ज्ञापांक–407/स्था0 दिनांक–27.07.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री श्रीवास्तव द्वारा दिनांक– 17.08.2017 को प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा में वही बातें अंकित किये हैं जो विभागीय कार्यवाही के दरम्यान प्रस्तुत करण पृच्छा में अंकित किये थे। उनके द्वारा कोई ऐसी नई बातें अंकित नहीं कि गई है, जो उन्हें निर्दोष साबित कर सके।

अरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी–सह–वरीय उप समाहर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये जांच प्रतिवेदन के समिक्षोंपरांत **मैं जय सिंह (भा0 प्र0 से0) जिलाधिकारी, खगड़िया, श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, राजस्व कर्मचारी बेलदौर अंचल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (संशोधन) नियमावली– 2007 के नियम–14 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित करता हूँ।**

**1. कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाय।**

**2. निम्नतर कालमान वेतन में अवनति की जाय तथा अन्य कोई प्रोन्नति नही दी जाएगी।**

अंचल अधिकारी, बेलदौर उपरोक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री श्रीवास्तव के सेवापुस्त में करेंगे।

जिलाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक......526....../स्था0, दिनांक.......19/9/2017......

प्रतिलिपिः– श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव राजस्व कर्मचारी बेलदौर अंचल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी बेलदौर/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्ता खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया/ गोगरी/जिलाधिकारी कार्यालय के सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी खगड़िया/ सभी अंचल अधिकारी खगड़िया जिला एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगडिया जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया 19/9/17

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी — 526/स्था०
खगड़िया 19/9/17